161

संख्याः ——/XXIV(6)/2017–42(4)/12

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादूनः दिनॉकः 14 मार्च, 2017

विषयः–वित्तीय वर्ष 2016–17 के आयोजनेत्तर पक्ष (Non-Plan) के मानक मद संख्या–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–UOU/वित्त/बजट/2016–17/1038/2143 दिनांक 17.08.2016 एवं पत्र संख्या–UOU/वित्त/बजट/2016–17/10/74/3490 दिनांक 05.12.2016 तथा पत्र संख्या–UOU/वित्त/बजट/2016–17/99/4404 दिनांक 28.01.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के वित्तीय स्वीकृति हेतु आयोजनेत्तर पक्ष (Non-Plan) की मानक मद संख्या–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता मद में **प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र)** लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–847/XXVII(1)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016 एवं शासनादेश संख्या–1097/XXVII(1)/2016 दिनांक 20 सितम्बर, 2016 में दिए गए दिशा–निर्देशों एवं निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का बिल पर निदेशक, उच्च शिक्षा हल्द्वानी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वास्तविक व्यय आवश्यकता के आधार ही किया जाएगा, तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी।

(3) विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जबकि गत् वित्तीय वर्ष/वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार उपभोग कर लिया गया हो।

(4) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य निर्देशों/आदेशों के अन्तर्गत शासन अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें आहरण/व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5) विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जाएगी एवं कोई भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जाएगा।

(6) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि (वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के पैरा–162) समस्त आहरित अग्रिमों का समायोजन आहरण–वितरण अधिकारियों द्वारा 30 दिनों के अन्दर कर दिया जाय तथा डीटेल्ड कन्टीजेन्ट (डी0सी0) बिल महालेखाकार को भेज दिये जाय।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–133(NP)XXVII(3)/16–17 दिनांक 10 मार्च, 2017 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से (साप्टवेयर के माध्यम से निर्गत विशिष्ट अलॉटमेंट आई0डी0 संख्या– प्रति–संलग्न) द्वारा निर्गत किए जा रहे है।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 की अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा– 03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–102–विश्वविद्यालयों को सहायता–आयोजनेत्तर पक्ष 07–मुक्त विश्वविद्यालय–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता मद की सुसंगत इकाई के नामें डाला जायेगा।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्याः 89 (1)/XXIV(6)/2017–42 (4)/12, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
5. कोषाधिकारी, हल्द्वानी।
6. वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
7. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
8. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अनुभाग–3/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दिनेश सिंह बड़वाल)
अनु सचिव।